



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार  
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)  
**National Water Development Agency**  
Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



F.No. ADMN-12022/1/2021/ 7403-15

दिनांक 24 नवंबर, 2022

**कार्यालय आदेश संख्या 318 /2022**

सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अनुमोदन से श्री आर. के. बिजोरिया, सहायक अभियंता (AE), अन्वेषण खंड, राजविअ, झांसी को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 में सहायक निदेशक (AD) / सहायक अधिशाषी अभियंता (AEE) के पद पर 01.12.2022 को या उसके बाद नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है। साथ ही अन्वेषण खंड राजविअ, झांसी में तैनात किया जाता है।

2. इनकी नियमित पदोन्नति उनके संबंधित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। पदोन्नति पर, वे एफआर 22(आई)(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण का हकदार नहीं होंगे, यदि वे एमएसीपी योजना के तहत लेवल - 10 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

3. पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है: -

- (iv) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- (v) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble High Court judgement dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Ors Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any contempt court.
- (vi) Any other court cases in a connected matter.

  
24/11/22  
(राजेश कुमार)

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रति

1. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), राजविअ, लखनऊ/हेदराबाद।
2. निदेशक (तकनीकी/एमडीयू/वित्त), राजविअ, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, ग्वालियर।
4. अधिशाषी अभियंता, अन्वेषण खंड राजविअ, झांसी।
5. लेखा अधिकारी, राजविअ, नई दिल्ली।
6. श्री आर. के. बिजोरिया, सहायक अभियंता, अन्वेषण खंड राजविअ, झांसी।
7. सतर्कता अनुभाग, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
8. वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, साकेत, राजविअ, नई दिल्ली।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली।